## सूरज मल बनाम सत्यनारायण सिंह

**अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या ...15/398**

| | |
|---|---|
| 19.07.2019 | पत्रावली पेश हुई । अप्रार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।<br><br>प्रार्थी अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अवमानना प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि इस न्यायालय ने दिनांक 14.10.2011 को निर्णय पारित कर तहसीलदार हिण्डोली को निर्देशित किया था कि आराजी की पैमाईश/सीमांकन करवाएं एवं उक्त आराजी में जहॉ कब्रे बनी हुई हैं उस स्थान को छोडकर शेष भूमि पर अपीलान्ट/आवंटी को विधिवत कब्जा संभलाया जावे यदि आवश्यकता हो तो इस भूमि पर पत्थरगढी करवायी जावे । आदेश की एक प्रति जिला कलक्टर, बून्दी को भी दी जावे । तहसीलदार के द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की जा रही है । मौखिक रूप से यह कथन करते हैं कि आराजी पर कब्रिस्तान है इसलिए आदेश की पालना नहीं की जा सकती जबकि आराजी कब्रिस्तान की नहीं है । अप्रार्थी न्यायालय के आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं जो अवहेलना की श्रेणी में आता है । अतः उनके विरूद्ध न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने से अवमानना की कार्यवाही कर उन्हें दण्डित किया जावे ।<br><br>हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं प्रार्थी के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । संलग्न दस्तावेजात में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.10.2011 की फोटो प्रति, तहसीलदार को दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 09.04.2013 की फोटो प्रति, इजराय दिनांक 29.10.2014 की फोटो प्रति, नकल जमाबन्दी नया खाता संख्या 01 पेश किये हैं । प्रार्थी के द्वारा ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिसके अनुसार अप्रार्थी को इस न्यायालय के आदेश की व्यक्तिगत रूप से सूचना दी गयी हो और इसके बावजूद उनके द्वारा इसकी पालना नहीं की गई हो । मौखिक साक्ष्य में भी सिर्फ प्रार्थी का शपथ पत्र पेश किया है अन्य किसी स्वतंत्र गवाह की साक्ष्य नहीं करवायी गई है । प्रार्थी ने शपथ पत्र की भी न्यायालय में उपस्ति होकर ताईद नहीं की है । इस प्रकार प्रार्थी अपने कथनों को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से साबित करने में असफल रहे हैं । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । इस न्यायलाय के निर्णय की पालना हेतु प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में चाराजोही करके लिए स्वतंत्र है । पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।<br><br>निर्णय आज दिनांक 19.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>19/7/19<br>(भागवंती जेठवानी)<br>राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा |